चित्रकूट-पुलिस

(1). थाना मऊ अन्तर्गत हुयी वाहन लूट की घटना का सफल अनावरण

06 अभियुक्त गिरफ्तार, लूटी की कार, अवैध तमंचा कारतूस, 03 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी चित्रकूट एवं थाना मऊ की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 66/2024 धारा 392 भादवि0 के 06 लूटेरे अभियुक्तों को लूट की कार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा, 02 अदद कारतूस, 03 अदद मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. शिवम पटेल पुत्र श्रीनाथ ग्राम टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट
2. अजीत पटेल पुत्र देवमूरत ग्राम टिकरा थाना मऊ जननद चित्रकूट
3. सोनू साहू पुत्र गनेश साहू निवासी आमीन, गोविन्द गढ थाना ताला जिला रीवा, म0प्र0
4. आफताब अंसारी पुत्र एजाज अंसारी निवासी पीथा कियारी , निरसा की चट्टी ,थाना निरसा, जिला धनबाड़ झारखण्ड
5. रवि लोनिया पुत्र बृजेश लोनिया निवासी वार्ड नं0 12 नजदीक हॉस्पिटल, गोविन्द गढ, थाना गोविन्द गढ़, जिला रीवा, म0प्र0
6. सत्येंद्र पाठक पुत्र महादेव पाठक निवासी अजरौली थाना धाता जनपद फतेहपुर

बरामदगी:-

1. घटना में लूटी गयी 01 अदद कार किया कैरेंस सफेद रंग रजि0 नं0 MP19 ZF8730
2. घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा
3. 02 अदद कारतूस
4. 03 अदद मोबाइल फोन
5. 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP96 J3150

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

टिकरा गांव के बाहर शिवम पटेल का डेरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट दिनांक 05.03.2024 समय 04.30 बजे

सक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक 28/29.02.2024 की रात्रि में रामलाल सोनी पुत्र रामदास सोनी निवासी बल्लभ नगर सतना रोड मैहर म0प्र0 के साथ गढ़वा गांव जाने वाले जंगल के रास्ते में अज्ञात लुटेरों ने तमंचा लगाकर उनके हांथ पांव बांधकर उनकी नई कार किया कैरेंस रजि0 नं0 MP19 ZF8730 को लूट ली थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 66/2024 धारा 392 भादवि0 के पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का संज्ञान लेकर एसओजी प्रभारी एवं प्रभारी निरीक्षक मऊ को निर्देशित किया गया था। एसओजी एवं थाना मऊ की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 05.03.2024 को समय सुबह 04.30 बजे टिकरा गांव के बाहर शिवम पटेल के डेरा से घटना में सम्मिलित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट की कार किया कैरेंस रजि0 नं0 MP19 ZF8730, घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर, 03 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP96 J3150 बरामद की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूट की कार बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 392 भादवि0 का लोप करते हुये धारा 395,412 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूंछताछ में बताया कि हम लोग पहले पूना में एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे वहीं हमारा आपस में परिचय हुआ, पैसा कम मिलता था इसी वजह से लूट की घटना करने का प्लान बनाया गया। फरवरी के अन्तिम सप्ताह में पूना से चलकर मानिकपुर होते हुये चित्रकूट आये थे, यहीं पर चित्रकूट मऊ के शिवम व अजीत पटेल मिले थे, जो पहले पूना में काम करते थे, जिनसे फोन पर वार्ता कर घटना की प्लानिंग बनी थी। दिनाँक 28.02.22024 को महैर जाकर एक गाड़ी बुक कराये एवं उससे अपने एक साथी की बीमार बताकर अस्पताल ले चलने के बहाने कुछ दूर ले चलने के बाद यह बताकर की

बरगढ़ चित्रकूट में एक अच्छा वैद्य रहता है, वहां चलने की बात कहकर कार मालिक को रात 10 बजे बरगढ़ चौराहे पर ले आये वहीं पर हम लोगों का साथी सत्येन्द्र तिवारी फोन करके टिकरा गांव थाना मऊ के शिवम व अजीत पटेल को बुलाया जो मोटरसाइकिल से आये और उन्ही के बताने के अनुसार परानु बाबा के पास जंगल में ले जाकर रात्रि में किया कार चालक/मालिक को परानु बाबा के पास जंगल में ले जाकर तमंचा लगाकर मारपीट कर गाड़ी से उतार लिया गया, जंगल में कुछ दूर ले जाकर हांथ पैर बांधकर पेड़ में बांध दिया गया व गाड़ी तथा उसके पास से मोबाइल लूट लिया गया। कार लूटने के बाद अजीत पटेल व सत्येन्द्र तिवारी कार लेकर ग्राम अजरौली थाना धाता जनपद फतेहपुर में सत्येन्द्र पाठक को दे दिये थे जो अपने ट्यूब–बेल पर कार को छिपाये हुये थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त सत्येन्द्र पाठक के कब्जे से कार बरामद की गयी। इस घटना में अभियुक्तों व उनके सहयोगियों को लेकर 07 लोग शामिल थे।

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीमः-

1.एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3. मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
4.आरक्षी रोहित सिंह
5.आरक्षी आशीष
6. आरक्षी पवन राजपूत
7. आरक्षी रोशन सिंह
8. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

गिरफ्तारी करने वाली थाना मऊ की टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह
3.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय
4.महिला आरक्षी सानू द्विवेदी

(2). 04 वर्षीय बालक का अपहरण एवं हत्या की घटना का सफल अनावरण 01 बाल अपचारी व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम सुरसेन में 04 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या की घटना का खुलाशा करते हुये 01 बाल अपचारी सहित 02 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. शायरा पत्नी सगीर उर्फ गुड्डा निवासी सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
2. चुन्नी उर्फ सफीन पुत्री सगीर उर्फ गुड्डा निवासी सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
3. एक बाल अपचारी

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

ग्राम सुरसेन मकान अभियुक्तगण, दिनाँक 05.03.2024 को सयम 15.10 बजे गिरफ्तार किया गया

सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.01.2024 को समय रात्रि 20.54 बजे वादी श्री रसीद पुत्र अजय खान निवासी सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी कि उनका 04 वर्षीय पुत्र समीर खान आज दिन से गायब है काफी खोजा गया किन्तु नहीं मिला। इस सूचना के आधार पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 14/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना सरधुवा पुलिस द्वारा बालक को काफी खोजा गया तो दिनाँक 25.01.2024 को उसका शव वादी के घर सामने सरसों के खेत से बरामद हुआ था। शव बरामदगी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 363 भादवि का लोप करते हुये धारा 364,302,201 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी थी। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 05.03.2024 को विवेचना से प्रकाश में आयीं अभियुक्ता 1. शायरा पत्नी सगीर उर्फ गुड्डा 2. चुन्नी उर्फ सफीना पुत्री सगीर उर्फ गुड्डा निवासी सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट तथा एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया।

पूंछतांछ में अभियुक्ताओं ने बाताया कि समीर की माँ रुकसाना ने उनकी पुत्री चुन्नी उर्फ सफीना का रिश्ता गलत लांछन लगाते हुये तुड़वा दिया था, हम लोग इसी कारण से रुकसाना के परिवार से रंजिश रखते थे तथा उनका पुत्र समीर भी उन्हें अक्सर गाली देता था। दिनाँक 24.01.2024 को जब समीर के पिता रसीद मजदूरी करने गये थे तथा समीर की माँ रुकसाना घर से बाहर गोबर के कण्डे पाथने गयी थी इसी बीच बालक समीर हमें गाली देने लगा तो गुस्से में हमने समीर को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और गला दबा दिया तथा शव को छिपाने के आशय से शव को सरसों खेत फेंक दिया था। अभियुक्तों द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी
2. आरक्षी राहुल पुरी
3. महिला आरक्षी शिल्पा विद्रेही
4. महिला आरक्षी श्यामलली

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 05.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन मे अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.कमलेश कुमार पुत्र राजकरन निवासी देवल थाना पहाड़ी 2. गया प्रसाद पुत्र मुन्ना निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट ताश के पत्तों में हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 200/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1. मालफड़ 500/- रुपये व 52 अदद

2. जामातलाशी 200/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
2. मुख्य आरक्षी सुशील
3. आरक्षी मृत्युन्जय

(5). आज दिनांक 05.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में महोदय द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य द्वारा अभियुक्त 1. सुशील दूबे पुत्र बुद्धीलाल दूबे 2. विजय कोल पुत्र लालमन कोल 3. संजय यादव पुत्र विष्णु यादव निवासीगण ग्राम करौदी खुर्द मजरा ओबरी थाना बरगढ जनपद चित्रकूट 4. अंकेश शुक्ल उर्फ छोटू पुत्र सालिक राम शुक्ल 5. सालिकराम शुक्ल पुत्र अलख नारायण शुक्ल निवासी कस्बा बरगढ थाना बरगढ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(7). पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 03 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(क). निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा आरक्षी नीतू द्विवेदी द्वारा मु0अ0सं0 760/2023 धारा 363,366क भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त मैकू प्रसाद, अनिल कुमार पुत्रगण चुन्नीलाल उर्फ देवीदयाल निवासीगण चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 146/2024 धारा 323,363,354,376 भादवि0 व 4/3 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त नितिन उर्फ नेता पटेल पुत्र हरीशचन्द्र निवासी भगनपुर खोही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री अंशुल कुमार थाना कोतवाली कर्वी तथा आरक्षी आदित्य पाल द्वारा मु0नं0 417/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रामजी उर्फ मुड़वा पुत्र हरीप्रसाद निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पंजीकृत मु0अ0सं0 576/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त भारत पुत्र रामसुचीत गौड़ निवासी ग्राम अकबरपुर थाना कोतवाली कर्वी (वर्तमान थाना भरतकूप) जनपद चित्रकूट 500/- रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(9). आज दिनांक 05.03.2024 को महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिनांक 08.03.2024 महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर रामघाट स्थित मतगजेन्द्रनाथ मंदिर तथा राष्ट्रीय रामायण मेला में लगने वाले मेले के मद्देनजर रामायण मेला परिसर आदि स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान जो भी कमियां पायीं गयी सम्बन्धित विभाग को सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

भ्रमण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर श्री सौरभ यादव, क्षेत्राधिकार नगर श्री हर्ष पांडेय एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(10) आज दिनाँक 05.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0एस0बी फोर्स के जवानों ने थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों व मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन किया साथ ही आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें। इस दौरान मुख्य सड़को में बने पुल पुलिया की भी सघन चेकिंग की गयी।